कार्यालय तहसीलदार कोल, अलीगढ ।

पत्रांक 125 /र0का0 दिनांक 22.02.2021

अपरजिलाधिकारी (वि0/रा0)
अलीगढ ।

विषय :– आवासीय प्लाटों के के दाखिल खारिज किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कार्यालय जिलाधिकारी अलीगढ के पत्रांक 2008(14) दिनांक 01 मई 2019के कम में आवासीय प्लाटों के दाखिल खारिज किये जाने के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये थे । उक्त के सम्बन्ध में अनुरोध करना है कि आवासीय प्लाटों के दाखिल खारिज हेतु प्राप्त बैनामा की छायाप्रति में नविश्ता , 11 फरवरी 2016 उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006 लागू होने से पूर्व की दर्शाई जाती है । जबकि 11 फरवरी 2016 से पूर्व आवासीय प्लाट उ0प्र0भूराजस्व अधिनियम 1901 की धारा 34 में आवासीय प्लाट के दाखिल खारिज का कोई प्राविधान नहीं था ।उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006 में भी यह वर्णित किया गया है कि जिस अधिनियम के अन्तर्गत वाद योजित हुआ है उसका निस्तारण उसी अधिनियम के अन्तर्गत किया जायेगा । उ0प्र0भूराजस्व अधिनियम 1901की धारा 34 के अन्तर्गत नविश्ता बैनामा 11 फरवरी 2016 से पूर्व का है , उसका उ0प्र0राजस्व संहिता 2006 की धारा 34 में दाखिल खारिज किया जाना संभव नहीं है । चूकि आवासीय प्लाट में दाखिल खारिज में 2016 से पूर्व के बैनामा में नविश्ता काश्तकारों के नाम प्रथक किये जाने होते हैं इसलिये भी नामान्तरण किया जाना संभव नहीं है। यहां यह भी अवगत कराना है कि उपनिबन्धक कार्यालय अलीगढ द्वारा मकानों के बैनामा , उ0प्र0राजस्व संहिता 2006 की धारा 80, उ0प्र0भूराजस्व अधिनियम 1901 की धारा 143/आबादी घोषित हो जाने के उपरान्त भी नामान्तरण हेतु बैनामा की प्रति को भेजा जाता है ।जबकि इनके आधार पर नामान्तरण नहीं किया जा सकता है ।

अतः अनुरोध करना है कि 11 फरवरी 2016 से पूर्व के नविश्ता बैनामा, विक्रेता द्वारा आवासीय प्लाटों को उ0प्र0राजस्व अधिनियम 2006 की धारा 80, उ0प्र0भूराजस्व अधिनियम 1901 की धारा 143/आबादी घोषित हो जाने व आवासीय मकानों वाले बैनामा की प्रतियों को तहसीलदार कोल के न्यायालय में न भेजने के लिये उपनिबन्धक कार्यालय अलीगढ को निर्देशित करने का कष्ट करें। जिससे वादकारी व न्यायालय में कार्यरत कर्मचारियों में अनावश्यक बहस की स्थिति से बचा जा सके और दाखिल खरिज की प्रकिया को पारदर्शी बनाया जा सके ।

S.R-I, II, III कोल

तहसीलदार
कोल 22/2/21

ADM (F/R)
23/2/21